भारत सरकार

शक्षा मंत्रालय

स्कूल शक्षा और साक्षरता वभाग

लोक सभा

अतारां कत प्रश्न संख्या-**1162**

उत्तर देने की तारीख-08/1**2**/2025

पीएम-श्री योजनाओं के अंतर्गत नि ध

**1162.** श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर:

क्या शक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क:

(क) पीएम-श्री स्कूल योजना के अंतर्गत वगत पांच वर्षों के दौरान राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार और वर्ष-वार आवंटित की गई, जारी की गई और उपयोग की गई नि ध कतनी है;
(ख) वगत पांच वर्षों के दौरान राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार और वर्ष-वार कतने वद्यालयों को पीएम-श्री स्कूलों के रूप में उन्नत कया गया है; और
(ग) देश में वर्तमान वत्त वर्ष के दौरान पीएम-श्री स्कूलों के रूप में उन्नत कए जाने हेतु ल क्षत वद्यालयों की संख्या कतनी है और इसके लए राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार कतना आवंटन कया गया है**?**

उत्तर

शक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

**(क):** केंद्र प्रायोजित योजना, पीएम श्री को दिनांक **7** सतंबर, **2022** को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित कया गया। अनुमोदन के पश्चात, वत्त वर्ष **2023-24,** वत्त वर्ष **2024-25** और वत्त वर्ष **2025-26** के दौरान पीएम श्री योजना के तहत आवंटित, जारी और उपयोग की गई नि धयों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक-**I** में दिया गया है।

**(ख):** पीएम श्री योजना के अंतर्गत पीएम श्री वद्यालयों के रूप में स्तरोन्नयन हेतु चयनित स्कूलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और वर्ष-वार संख्या अनुलग्नक-**II** में दी गई है।

**(ग):** पीएम श्री योजना के अंतर्गत, वर्तमान वत्तीय वर्ष में कुल **571** पीएम श्री स्कूलों को चयनित कया गया है। वर्तमान वत्तीय वर्ष में पीएम-श्री स्कूलों के रूप में चयनित स्कूलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या अनुलग्नक-**III** में दी गई है।

*****

अनुलग्नक-I

'पीएम-श्री योजनाओं के अंतर्गत नि ध' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर द्वारा पूछे गए दिनांक 08/12/2025 के लोक सभा अतारांकत प्रश्न संख्या **1162** के भाग (क) के उत्तर में उल्लि खत अनुलग्नक।

वत्त वर्ष **2023-24**, वत्त वर्ष **2024-25** और वत्त वर्ष **2025-26** के दौरान, पीएम श्री योजना के अंतर्गत आवंटित, जारी और उपयोग की गई नि धयों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

**(करोड़ में)**

| क्र. सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | वत्तीय वर्ष 2023-24 | | | वत्तीय वर्ष 2024-25 | | | वत्तीय वर्ष 2025-26 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | स्वीकृत पीएबी परिव्यय | स्वीकृत पीएबी परिव्यय का केंद्रीय भाग | कुल जारी केंद्रीय भाग | स्वीकृत पीएबी परिव्यय * | स्वीकृत पीएबी परिव्यय का केंद्रीय भाग * | कुल जारी केंद्रीय भाग | स्वीकृत पीएबी परिव्यय * | स्वीकृत पीएबी परिव्यय का केंद्रीय भाग * | कुल जारी केंद्रीय भाग |
| 1 | अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह | 6.25 | 6.25 | 1.56 | 7.64 | 7.64 | 2.83 | 10.64 | 10.64 | 1.33 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 354.85 | 212.91 | 106.46 | 782.39 | 469.43 | 294.12 | 643.51 | 386.11 | 0.001 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 18.73 | 16.85 | 4.21 | 55.92 | 50.33 | 33.87 | 52.55 | 47.30 | 1.83 |
| 4 | असम | 127.46 | 114.71 | 57.36 | 331.02 | 297.92 | 142.36 | 217.63 | 195.87 | 28.12 |
| 5 | बिहार | एनए | एनए | एनए | एनए | एनए | एनए | 1000.76 | 600.45 | 0.00 |
| 6 | चंडीगढ़ | 0.73 | 0.73 | 0.63 | 1.8 | 1.8 | 1.25 | 1.66 | 1.66 | 0.68 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 65.79 | 39.47 | 19.74 | 201.41 | 120.85 | 37.35 | 196.78 | 118.07 | 6.78 |
| 8 | दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव | 2.59 | 2.59 | 0.65 | 2.56 | 2.56 | 1.01 | 3.71 | 3.71 | 0.00 |
| 9 | गोवा | 6.19 | 3.71 | 3.25 | 15.82 | 9.49 | 4.64 | 16.62 | 9.97 | 0.16 |
| 10 | गुजरात | 109.79 | 65.87 | 32.94 | 182.9 | 109.74 | 63.58 | 209.68 | 125.81 | 10.23 |
| 11 | हरियाणा | 85.26 | 51.16 | 25.58 | 225.5 | 135.3 | 56.1 | 191.74 | 115.05 | 1.93 |
| 12 | हिमाचल प्रदेश | एनए | एनए | एनए | 150.39 | 135.35 | 135.35 | 113.84 | 102.46 | 13.33 |
| 13 | जम्मू और कश्मीर | 116.43 | 104.79 | 52.40 | 280.76 | 252.68 | 99.72 | 277.07 | 249.37 | 0.22 |
| 14 | झारखंड | एनए | एनए | एनए | 258.72 | 155.23 | 38.81 | 381.45 | 228.87 | 8.48 |
| 15 | कर्नाटक | 50.29 | 30.17 | 26.39 | 251.43 | 150.86 | 62.78 | 376.93 | 226.16 | 0.05 |
| 16 | लद्दाख | 8.08 | 8.08 | 4.04 | 26.66 | 26.66 | 11.91 | 21.22 | 21.22 | 14.47 |
| 17 | लक्षद्वीप | 4.36 | 4.36 | 1.09 | 6.77 | 6.77 | 0.72 | 7.35 | 7.35 | 1.42 |
| 18 | मध्य प्रदेश | 219.99 | 131.99 | 44.53 | 436.41 | 261.84 | 145.33 | 613.35 | 368.01 | 3.96 |
| 19 | महाराष्ट्र | 211.35 | 126.81 | 63.40 | 565.61 | 339.37 | 226.15 | 367.62 | 220.57 | 4.45 |
| 20 | म णपुर | 39.19 | 35.27 | 17.64 | 92.1 | 82.89 | 37.83 | 73.67 | 66.30 | 3.95 |
| 21 | मेघालय | 9.55 | 8.59 | 4.30 | 33.96 | 30.57 | 20.08 | 35.21 | 31.69 | 0.10 |
| 22 | मजोरम | 9.11 | 8.20 | 4.10 | 13.33 | 12 | 4.96 | 12.98 | 11.68 | 0.12 |
| 23 | नगालैंड | 4.34 | 3.90 | 0.98 | 24.81 | 22.33 | 5.44 | 33.78 | 30.41 | 0.00 |
| 24 | ओ डशा | एनए | एनए | एनए | 435.03 | 261.02 | 130.51 | 851.99 | 511.20 | 21.94 |
| 25 | पुडुचेरी | 3.91 | 2.35 | 2.06 | 10.87 | 6.52 | 3 | 9.44 | 5.66 | 0.01 |
| 26 | पंजाब | एनए | एनए | एनए | 209.46 | 125.68 | 94.26 | 346.37 | 207.82 | 5.63 |
| 27 | राजस्थान | 163.94 | 98.36 | 24.59 | 450.83 | 270.5 | 118.69 | 434.66 | 260.80 | 6.87 |
| 28 | सक्किम | 22.61 | 20.35 | 10.18 | 34.51 | 31.06 | 15.11 | 29.70 | 26.73 | 3.22 |
| 29 | तेलंगाना | 398.69 | 239.21 | 59.80 | 647.78 | 388.67 | 342.09 | 422.54 | 253.53 | 7.09 |
| 30 | त्रिपुरा | 26.23 | 23.61 | 11.80 | 57.41 | 51.67 | 38.45 | 43.04 | 38.74 | 0.40 |
| 31 | उत्तर प्रदेश | 404.98 | 242.99 | 121.50 | 671.14 | 402.68 | 246.86 | 629.42 | 377.65 | 9.99 |
| 32 | उत्तराखंड | 72.91 | 65.62 | 57.42 | 130.1 | 117.09 | 58.6 | 149.96 | 134.97 | 5.04 |
| | कुल | 2543.6 | 1668.9 | 758.6 | 6595.04 | 4336.5 | 2473.76 | 7776.88 | 4995.80 | 161.80 |

* परिव्यय नि धयों में प्रतिबद्ध देयता शा मल है

एनए: राज्य में उल्लि खत वर्ष में यह योजना लागू नहीं की थी।

*****

अनुलग्नक-**II**

'पीएम-श्री योजनाओं के अंतर्गत नि धि' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर द्वारा पूछे गए दिनांक 08.12.2025 के लोक सभा अतारां कत प्रश्न संख्या **1162** के भाग (ख) के उत्तर में उल्लि खत अनुलग्नक।

वगत पांच वर्षों के दौरान, के अनुसार पीएम-श्री स्कूलों के रूप में स्तरोन्न्यन कए गए स्कूलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और वर्ष-वार संख्या इस प्रकार है:

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/के वसं/न वस/एनसीईआरटी | वर्ष 2023 | वर्ष 2024 | वर्ष 2025 | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह | 10 | 1 | 5 | 16 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 662 | 193 | 80 | 935 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 41 | 50 | 2 | 93 |
| 4 | असम | 266 | 116 | 0 | 382 |
| 5 | बिहार | 0 | 47 | 789 | 836 |
| 6 | चंडीगढ़ | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 211 | 130 | 0 | 341 |
| 8 | दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव | 5 | 0 | 2 | 7 |
| 9 | दिल्ली | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 10 | गोवा | 12 | 13 | 3 | 28 |
| 11 | गुजरात | 274 | 174 | 15 | 463 |
| 12 | हिमाचल प्रदेश | 0 | 180 | 19 | 199 |
| 13 | हरियाणा | 124 | 117 | 9 | 250 |
| 14 | जम्मू और कश्मीर | 233 | 163 | 0 | 396 |
| 15 | झारखंड | 0 | 339 | 24 | 363 |
| 16 | कर्नाटक | 129 | 348 | 108 | 585 |
| 17 | लद्दाख | 14 | 22 | 1 | 37 |
| 18 | लक्षद्वीप | 8 | 3 | 0 | 11 |
| 19 | मध्य प्रदेश | 413 | 273 | 113 | 799 |
| 20 | महाराष्ट्र | 516 | 311 | 33 | 860 |
| 21 | म णपुर | 69 | 36 | 16 | 121 |
| 22 | मेघालय | 22 | 33 | 10 | 65 |
| 23 | मजोरम | 22 | 8 | 5 | 35 |
| 24 | नगालैंड | 9 | 34 | 6 | 49 |
| 25 | ओ डशा | 0 | 449 | 313 | 762 |
| 26 | पुडुचेरी | 8 | 4 | 0 | 12 |
| 27 | पंजाब | 0 | 233 | 123 | 356 |
| 28 | राजस्थान | 402 | 237 | 0 | 639 |
| 29 | सक्किम | 30 | 13 | 4 | 47 |
| 30 | तेलंगाना | 543 | 251 | 0 | 794 |
| 31 | त्रिपुरा | 57 | 25 | 2 | 84 |
| 32 | उत्तराखंड | 141 | 84 | 16 | 241 |
| 33 | उत्तर प्रदेश | 928 | 779 | 18 | 1725 |
| 34 | के वसं | 730 | 134 | 49 | 913 |
| 35 | न वस | 312 | 308 | 0 | 620 |
| 36 | एनसीईआरटी | 0 | 0 | 4 | 4 |
| | कुल | 6192 | 5109 | 1775 | 13076 |

****

'पीएम-श्री योजनाओं के अंतर्गत नि ध' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर द्वारा पूछे गए दिनांक 08.12.2025 के लोक सभा अतारां कत प्रश्न संख्या **1162** के भाग (ग) के उत्तर में उल्लि खत अनुलग्नक।

वर्तमान वत्तीय वर्ष में पीएम श्री स्कूलों के रूप में चयनित स्कूलों की राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/के वसं-वार संख्या निम्नानुसार है:

| क्र. सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | चयनित पीएम श्री स्कूलों की कुल संख्या |
|---|---|---|
| **1** | अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह | **5** |
| **2** | आंध्र प्रदेश | **80** |
| **3** | दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव | **1** |
| **4** | गुजरात | **15** |
| **5** | हिमाचल प्रदेश | **19** |
| **6** | झारखंड | **18** |
| **7** | लद्दाख | **1** |
| **8** | मध्य प्रदेश | **12** |
| **9** | महाराष्ट्र | **33** |
| **10** | म णपुर | **16** |
| **11** | मेघालय | **2** |
| **12** | ओ डशा | **300** |
| **13** | पंजाब | **9** |
| **14** | सिक्किम | **4** |
| **15** | उत्तराखंड | **15** |
| **16** | उत्तर प्रदेश | **12** |
| **17** | के वसं | **29** |
| | कुल | **571** |

*****